न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 40/2020 GCMS No 2020/00095
दायरा तिथि : 26.08.2020
फैसला तिथि : 26-7-2021
प्रार्थी:–

प्रकाश पुत्र खीमाजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. पन्नाराम पुत्र तेजाजी
2. हीराराम पुत्र खीमाजी जाति सीरवी
   निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति:–

1. श्री अमृत परिहार .... अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री कृष्ण सुथान............. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र चौहान......................... पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार

दिनांक 26-7-2021

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम सेला तहसील बाली स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 271 रकबा 3.91 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के 1/4 हिस्सा में इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि पुर्व खातेदार चन्दनसिंह पुत्र रावतसिंह से रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 07.04.2001 से खरीद की गई। बेचान रजिस्ट्री के अनुसार प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या–01 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या–02 का 1/4 हिस्सा अनुसार नामान्तरकरण संख्या 212 खोला जाकर तहसीलदार, बाली के द्वारा दिनांक 04.01.2002 को स्वीकृत किया गया। परन्तु उक्त नामान्तरकरण संख्या 212 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होकर प्रार्थी का नाम बिना किसी आधार अधिकार के राजस्व कार्मिको/ अधिकारियो द्वारा विलोपित कर दिया गया। जिससे प्रार्थी की खरिद शुदा भूमि में राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 में नाम विलोपित कर दिया गया। उक्त त्रुटि को आगे बनी जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में भी बदस्तुर कायम रखते हुये पनाराम पुत्र तेजाजी 1/2 हीराराम पुत्र खीमाजी 1/2 हि. कौम सीरवी सा. बाली खातेदार दर्ज किया गया। जिससे उक्त त्रुटि को दुरस्ती के माध्यम से सही किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य विक्रय विलेख दिनांक 07.04.2001 की फोटो प्रति, नामान्तरकरण संख्या 212 स्वीकृति दिनांक 4.1.2002 की फोटो प्रति, जमाबंदी खतौनी संवत् 2057 से 2060 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी खतौनी संवत् 2061 से 2064 की प्रमाणित प्रति, खतौनी संवत् 2065 से 2068 की प्रति, जमाबंदी खतौनी संवत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या–01 व 02 एवं तहसीलदार, बाली को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री कृष्ण सुथार ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 26.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी पत्र जबाव प्रस्तुत नही कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई। अप्रार्थी संख्या–02 जो प्रार्थी का सगा भाई है, उसने भी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रकट की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट तौर प्रमाणित हैं कि बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07.04.2001 के द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–01 व 02 ने संयुक्त तौर पर भूमि खरीद की गई, जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा का अंकन है। उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल नामान्तरकरण संख्या 212 जो कि तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 4.1.2002 को स्वीकृत किया गया, उसमें भी अप्रार्थी संख्या –02 एवं प्रार्थी दोनो का संयुक्त तौर पर 1/2 हिस्सा में नाम अंकित किया गया। परन्तु उक्त नामान्तरकरण संख्या 212 के अनुरूप राजस्व रेकर्ड जमाबंदियो में इन्द्राज नहीं करते हुये ग्राम सेला तहसील बाली के खसरा नंबर 271 रकबा 3.91 हैक्टर से प्रार्थी का 1/4 हिस्सा से नाम बिना किसी आधार के विलोपित किया जाना प्रमाणित हैं। अब चूँकि उक्त त्रुटि को सही कराने के लिये प्रार्थी का भाई अप्रार्थी संख्या–02 हीराराम पुत्र खीमाजी सहमत है एवं अप्रार्थी संख्या–01 व 02 के अधिवक्ता भी इस हेतु सहमति प्रदान करते हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सेला तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 271 रकबा 3.91 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में दर्ज **हीराराम पुत्र खीमाजी 1/2 हिस्सा** की बजाय **हीराराम पुत्र खीमाजी, प्रकाश पुत्र खीमाजी 1/2 हिस्सा** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश के पश्चात् खाते में **पनाराम पुत्र तेजाजी 1/2 हीराराम पुत्र खीमाजी 1/4 हि., प्रकाश पुत्र खीमाजी 1/4 हिस्सा** दर्ज रहेगें। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 26-7-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned with CamScanner